न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 10/ 2021
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2021/72

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

श्री नाथु पिता रुपा जाति भील निवासी नालपाडा तहसील सज्जनगढ जिला बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. उदा पिता रुपा जाति भील निवासी नालपाडा तहसील सज्जनगढ जिला बॉसवाडा
2. तहसीलदार तहसील सज्जनगढ

उपस्थित

श्री नारायणलाल मईडा, अधिवक्ता

श्री हिरेन पटेल, अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांक :– 24.05.2022

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नालपाडा पटवार हल्का बावडीपाडा तहसील सज्जनगढ जिला बॉसवाडा, खाता सं. 94 पुराना के सर्वे नं. 44, 47, 65, 71, 72, 75, 78, 79, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 158 व 159 कुल खसरा 18 कुल रकबा 18.84 है. पूर्व में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 1 के पिता रुपा पिता मोती भील के नाम जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 में दर्ज रेकार्ड था एवं रुपा की मृत्यु के पश्चात् अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं.1 के नाम सयुक्त रेकार्ड में दर्ज हुआ। दिनांक 09.01.2019 को अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं.1 द्वारा तहसीलदार सज्जनगढ के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2) के तहत आपसी सहमति से बंटवारा बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सज्जनगढ जिला बॉसवाडा के आदेश क्रमांक राजस्व/19/40 दिनांक 09.01.2019 से बंटवारा स्वीकृत किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अनुसार रेस्पोडेंट सं. 1 का पुत्र राजस्व कर्मचारी [illegible] कार्यरत होने से राजस्व कर्मचारियो द्वारा मिलीभक्ति से नामान्तरकरण [illegible] द्वारा रेस्पोडेंट नं. 1 को 10.86 है. भूमि एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.30 10:58:47 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,बांसवाड़ा

अपीलांट को 7.98 है. भूमि का विभाजन अवैधानिक रुप से कर दिया। तहसीलदार सज्जनगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 725 दिनांक 17.01.2019 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेण्ट को समन जारी किया गया ।

रेस्पोडेंट सं.1 द्वारा दिनांक 19–04–2022 से इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि नामान्तरकरण अपीलार्थी व रेस्पोडेंट सं.1 की आपसी सहमति से विधि सुनवाई कर धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में आपसी सहमति से बंटवारा का विधिवत निर्णय दिनांक 09.01.2019 को बाद साक्ष्य व कार्यवाही के पारित किया गया है एवं उसी की अनुपालना में उक्त नामान्तरकरण सं 725 दिनांक 17.01.2019 खोला गया है। रेस्पोडेंट सं. 1 ने किसी प्रकार के तथ्यो को छिपाया नही है। इसके विपरीत अपीलांट ने बंटवारा के तथ्यो को छिपाते हुए पूर्व के निर्णयो का कोई हवाला नही दिया है। अपीलांट द्वारा सर्वे नंबर 732/447 की भूमि को विक्रय कर दिया है ऐसी स्थिति में बंटवारा की विधिवत पुष्टि होती है।

रेस्पोडेंट सं. 2 तहसीलदार सज्जनगढ की ओर से दिनांक 02.05.2022 को प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 53 के तहत अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा आपसी सहमति से कृषि भूमि का बंटवारा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का से जॉच कराई जाकर मौके पर भौतिक कब्जा अनुसार बंटवारा फहरिस्त तैयार कर खातेदार के हस्ताक्षर कराकर आपसी सहमति से बंटवारा किया गया है।

दिनांक 24.05.2022 को उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के सन्दर्भ में कथन किया कि अपीलांट के कब्जे में जो आधी भूमि है उसमें रेस्पोडेंट सं. 1 माह अक्टूबर 2021 में विवाद करने पर एवं अपीलांट के शांति पूर्वक काश्त में बाधा व रुकावट उत्पन्न करने के कारण अपील प्रस्तुत करनी पडी है अपील प्रस्तुत [illegible] का कारण वास्तविक सद्भावना पूर्ण व न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा [illegible] यदि देरी कण्डोन नही की तो अपीलांट उचित न्याय से वंचित रह जायेगा। अतः अपील जहां तक म्याद बाहर होने का प्रश्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.30 10:58:47 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपील पर बहस में कथन किया कि ग्राम नालपाडा पटवार हल्का बावडीपाडा तहसील सज्जनगढ जिला बॉसवाडा, खाता सं. 94 पुराना के सर्वे नं. 44, 47, 65, 71, 72, 75, 78, 79, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 158 व 159 कुल खसरा 18 कुल रकबा 18.84 है. पूर्व में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 1 के पिता रुपा पिता मोती भील के नाम जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 में दर्ज रेकार्ड था। पिता रुपा की मृत्यु के पश्चात् अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं.1 के नाम सयुक्त रेकार्ड में दर्ज हुआ। जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 1 का समान हक, हित, हिस्सा व कब्जा निहित था एवं दोनो बराबर के हकदार थे। परन्तु रेस्पोडेंट सं. 1 का पुत्र राजस्व कर्मचारी अर्थात् पटवारी के पद पर कार्यरत होने से राजस्व कर्मचारियो द्वारा मिलीभक्ति से नामान्तरकरण सं. 725 दिनांक 17.01.2019 द्वारा रेस्पोडेंट नं. 1 को 10.86 है. भूमि एवं अपीलांट को 7.98 है. भूमि का विभाजन अवैधानिक रुप से कर दिया। कृषि भूमि कुल रकबा 18.84 है. मे से अपीलांट को समान रकबा बंटवारे में प्राप्त होना था जो नही दिया गया है। समस्त कार्यवाही नियमो को ताक में रखकर अवैधानिक रुप से की गई जिसकी न तो जॉच की गई एवं न ही रिर्पोट ली गई अपितु एकतरफा रुप से उक्त कार्यवाही रेस्पोडेंट सं. 1 के हक में की गई। अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार सज्जनगढ के नामांतरकरण सं. 725 दिनांक 17.01.2019 को निरस्त करने निवेदन किया।

रेस्पोडेंट सं. 1 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि नामान्तरकरण अपीलार्थी व रेस्पोडेंट सं.1 की आपसी सहमति से विधि सुनवाई कर धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में आपसी सहमति से बंटवारा का विधिवत निर्णय दिनांक 09.01.2019 को बाद साक्ष्य व कार्यवाही के पारित किया गया है एवं उसी की अनुपालना में उक्त नामान्तरकरण सं 725 दिनांक 17.01.2019 खोला गया है। अपीलांट द्वारा सर्वे [illegible] कर दिया है ऐसी स्थिति में बंटवारा की विधिवत पुष्टि होती है। [illegible] प्रस्तुत की गई एवं कथन किया कि इस प्रकार अपीलांट [illegible] भलीभांति ज्ञान है एवं बंटवारा विधिवत होने की पुष्टि होती है। रेस्पोडेंट सं. 1 ने किसी प्रकार से तथ्यो को नही छुपाया है। इसके विपरीत

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.30 10:58:47 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

अपीलांट ने बंटवारा के तथ्यो को छुपाते हुए पूर्व के निर्णय का कोई हवाला नही दिया है एवं वह क्लिन हेण्डेड नही होने से अपील अपीलांट मय हर्जे खर्चे के साथ निरस्त फरमावे।

प्रकरण मे तहसीलदार सज्जनगढ को पक्षकार बनाया गया है, लेकिन वह एक औपचारिक एवं आवश्यक पक्षकार है। तहसीलदार सज्जनगढ से प्राप्त जवाब ही पर्याप्त है। उसे सुनने की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

हमने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। दिनांक 09.01.2019 को अपीलांट एवं रेस्पोडेंट द्वारा तहसीलदार सज्जनगढ के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2) के तहत आपसी सहमति से बंटवारा बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सज्जनगढ जिला बॉसवाडा के आदेश क्रमांक राजस्व/19/40 दिनांक 09.01.2019 से बंटवारा स्वीकृत किया गया है। जिसके आधार पर तहसीलदार सज्जनगढ द्वारा नामान्तरकरण सं. 725 दिनांक 17.01.2019 स्वीकृत किया है। जिसमे कोई विधिक भूल नही की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 725 दिनांक 17.01.2019 मे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार सज्जनगढ द्वारा स्वीकृत ग्राम नालपाडा पटवार हल्का बावडीपाडा तहसील सज्जनगढ जिला बॉसवाडा के नामान्तरकरण सं. 725 दिनांक 17.01.2019 को यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति के पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अति.जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवा...

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.30 10:58:47 IST
Reason: SelfAttested